फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्या:18–233(एसआई लिपिक)–2025(स्थानापन्न) दिनांक:लखनऊ:जून ,2026

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015(समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी–चार–10(43)/2025 दिनॉक: 16.09.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति में निम्नलिखित **पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक)** को शासनादेश संख्या:13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–5 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रोन्नति समिति की बैठक में मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुतियों के अनुरूप प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक उनके लिये सुरक्षित पदों के सापेक्ष ''काम चलाऊ प्रबन्धन'' के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से **पुलिस निरीक्षक(लिपिक)** के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु उपयुक्त कर्मियों को चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **पुलिस निरीक्षक (लिपिक)** के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है। यह काम चलाऊ प्रबन्धन आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगा। उक्त स्थानापन्न पदोन्नति आदेश **दिनांक 30.06.2026** से प्रभावी होगा तथा शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानापन्न पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मियों का विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	पात्रता कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	45	941150013	संजय कुमार बाजपेयी	श्री भैया लाल बाजपेई	30-06-1973	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	स्थानापन्न 2025
2	46	940020016	नवीन कुमार	स्व0 सोने लाल	29-01-1973	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	स्थानापन्न 2025

2. उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी।

3. मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4. स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89–का–1–1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

SI LIPIK TO ins lipik pramotion order2025

Scanned with OKEN Scanner

5. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट **http://uppolice.gov. in** में **'Police Units- DGP HQRS Circulars (subjects) –Estt. matters of Non.GOs** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः प्रारूप (क)

29/6/25

(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

2.पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————————पुत्र ——————————निवासी——————————थाना——————————जनपद—————————— वर्तमान में(जनपद/इकाई)——————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:————————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————धारा——————————————————थाना——————————

जनपद——————————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:——————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांक:–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner